आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.06.2023	**वाद संख्या–25 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य, ग्राम–लंका, पंचायत–रांकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार अनुपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। आज की सुनवाई में लगातार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं Telephonic conference दोनों माध्यम से अनुपस्थित रहे। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता हैं कि वे अगली सुनवाई में आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा स्पष्टीकरण के माध्यम से आयोग को यह कि बताएँ कि लगातार आयोग की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा क्यों नहीं की जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार का स्पष्टीकरण यदि संतोषजनक नहीं रहा या उनका स्पष्टीकरण नहीं आया तो आयोग एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को इस कार्रवाई की अनुशंसा करने को बाध्य होगा। इस बीच आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को मुआवजा के साथ अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–10.07.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–10.07.2023 को रखें। Sd/- 19.6.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- 19/6/23 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx80	